

न्यायालय उप जिला कलेक्टर वजीरपुर, जिला सवाई माधोपुर

गुड्डी देवी

बनाम

रमेशदास वगै०

किस्म प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं०..०५/२०२३

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनेशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
०२.०२.२३	<p>यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थिया की ओर से श्री संजय कुमार शर्मा एडवोकेट ने हमारे समक्ष पेश किया। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। अस्थाई निषेधाज्ञा के बिन्दु पर वकील प्रार्थिया को सुना गया। प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित होने के कारण अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे भूमि खसरा नं० २५७७ रकबा ०.१७ है०, खसरा नं. २५९५ रकबा ०.०३ है०, खसरा नं २५९६ रकबा ०.१६ है., खसरा नं. २६१९ रकबा ०.०४ है. खसरा नं २६२० रकबा ०.४२ है० खसरा नं० २६२१ रकबा ०.१८ है. खसरा नं० २६२५ रकबा ०.१६ है० खसरा नं २६२६ रकबा ०.५१ है. खसरा नं २६२७ रकबा २.२० है. खसरा नं २६२८ रकबा ०.२० है. खसरा नं. ५४८८/२६२३ रकबा ०.५४ है. कुल खसरे ११ कुल रकबा ४.६१ है. स्थित ग्राम वजीरपुर अ तहसील वजीरपुर के बाबत आगामी तारीख पेशी तक रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। अप्रार्थीगण को जरिये रजि० नोटिस से तलब किया जावे जिसका खर्चा प्रार्थिया वहन करेगी। पत्रावली दिनांक २३.०२.२०२३ को पेश हो।</p> <p align="right">५५</p>	
२३/२/२३	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी से। ग्राम की ओर से श्री अल्तामश व तलीश कस शर्मा से उपस्थित पत्रावली का समय नाव गया पत्रावली काले जवाब व जल्दी से अप्रार्थी जन हेतु दि २५/२/२३ को पेश के। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के अर्थ पत्रावली रहेगी।</p> <p align="right">५५</p>	 

